परिशिष्ट—"अ"

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1282 तारांकित सत्र फरवरी—मार्च 2023

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	पत्र प्राप्ति का स्त्रोत	पत्र क्रमांक/दिनांक	शिकायत का विवरण	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेन्द्र पाण्डेय मान. विधायक जावरा	संचालनालय से प्राप्त	3419/22.02.19 एवं 5805/02.04.19	नगर परिषद पिपलौदा के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान अध्यक्ष द्वारा की गई आर्थिक अनियमितता की विस्तृत जांच बावत्।	नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4—17/2020/18—3 दिनांक 30.08.2022 से पूर्व अध्यक्ष श्रीमती उपमा पटेल को चेतावनी दी जाकर प्रकरण निराकृत किया गया। एवं आदेश क्रमांक एफ 4—3/2021/18—3 भोपाल दिनांक 02/12/2022 से पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी पटेल को 05 वर्ष के लिए निर्वाचन से निर्रहित करते हुए प्रकरण निराकृत किया गया। संचालनालय के पत्र क्रमांक शि/6/स/18/6583 दिनांक 01.05.20 के द्वारा उत्तरदायी पाये गये अरूण पाठक एवं श्रीमती ज्योति सुनेरिया तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा महेश सोनी उपयंत्री के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.12.20 को जारी किए गए। जिसमें श्रीमती ज्योति सुनेरिया तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी की संचालनालय के आदेश क्रमांक 15638 दिनांक 07.09.22 के द्वारा 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई। श्री अरूण पाठक प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं महेश सोनी उपयंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित है।
2	डॉ राजेन्द्र पाण्डेय विधायक महो. जावरा	संचालनालय से प्राप्त	प्र न क्रमांक 2544 अतारांकित जुलाई—2019 आ वासन क्रमांक 553	रतलाम जिला अंतर्गत नगर परिषद् पिपलौदा में शहरी अधोसंरचना अंतर्गत किये गये कार्यो की जांच का जांच प्रतिवेदन बाबत।	कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्रमांक 40 दिनांक 06.01.2020 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 224 दिनांक 08.01.2020 द्वारा संचालनालय, नगरीय प्रशासन एंव विकास को प्रेषित किया गया। प्राप्त शिकायत में कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग के प्रतिवेदन अनुसार शिकायत प्रमाणित नहीं पाई गई।
3	डॉ राजेन्द्र पाण्डेय विधायक महो. जावरा	जिला स्तर	माननीय विधायक डॉ राजेन्द्र जी पाण्डेय विधायक जावरा विधानसभा का पत्र क्रमांक 197 दिनांक 23.12.2019	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों से अवैध राशि वसूली के संबंध में	मुख्य नगरपालिका अधिकारी पिपलौदा द्वारा अवगत कराया गया है कि निकाय के पत्र क्रमांक 1952 दिनांक 13.10.2020 द्वारा प्रतिवेदन परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला रतलाम को प्रेषित किया गया है। जिसके क्रम में कलेक्टर के पत्र क्रमांक 30 दिनांक 12.01.2021 को जांच दल गठित कर जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक क्रमाक 325 दिनांक 17.03.2022 द्वारा संचालनालय को प्रेषित किया गया। संचालनालय आदेश क्रमांक 14308 दिनांक 12.08.2022 द्वारा प्रतिवेदन अनुसार उत्तरदायी श्रीमती आरती गरवाल को निलंबित किया गया।
4	डॉ राजेन्द्र	निकाय स्तर	माननीय विधायक डॉ	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	निकाय के पत्र क्रमांक 1385 दिनांक 16.07.2020 द्वारा पेयजल

प्रश्न सं. [क्र. 1282]

[3/3/2023]

	पाण्डेय विधायक महो. जावरा को प्रेषित नगर अध्यक्ष भाजपा श्री मुकेश मोगरा का पत्र		राजेन्द्र जी पाण्डेय विधायक जावरा विधानसभा के पत्र के संलग्न योग्य कार्यवाही हेतु भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश मोगरा की शिकायत	में पाईप लाईन बिछाते समय सडकों को क्षति पंहुचाने संबंधी शिकायत	योजना में आपेक्षित सुधार कार्य नहीं करने पर मल्टी अर्बन इन्फ्रा सर्विसेस नागपुर की ऑपरेशन मेटेनेंस राशि 53,56,652/– रूपये का भुगतान सुधार कार्य न कराने से रोक दिया गया है। कार्यपालन यंत्री, न.प्र. एवं विकास उज्जैन संभाग, उज्जैन के पत्र क्र. 1022 दि. 18.07.2022 से निकाय से बिन्दुवार जानकारी चाही गयी, जिस पर मु.न.पा. अधिकारी के पत्र क्र. 2306 दिनांक 20.07.2022 में लेख किया गया है कि नागरिकों द्वारा योजना के जल स्त्रोत खनिज स्थल होने से जलप्रदाय किये जाने का विरोध किये जाने से सुधार कार्य नहीं हुआ।
5	डॉ राजेन्द्र पाण्डेय विधायक महो. जावरा	राज्य स्तर	माननीय विधाकय महोदय जावरा के पत्र कमांक 1045 दिनांक 05.06.2020	मुख्यमंत्री अधोसंरचना द्वितीय चरण अंतर्गत सीसी रोड नाला निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन होने से भुगतान नहीं किये जाने बाबत।	रोड के चार पैनल खराब होने से ठेकेदार द्वारा पुनः तोडकर निर्माण कराने हेतु कार्यपालन यंत्री उज्जैन के पत्र कमांक 1427 दिनांक 28.07.2020 एवं पत्र क्र. 986 दिनांक 12.07.2022 से पालन प्रतिवेदन चाहा गया। जिसमें मु.न.पा. अधिकारी के पत्र क्र. 2273 दिनांक 14.07.2022 से प्रेषित प्रतिवेदन मे खराब पैनल तोडकर पुनः निर्माण कार्य ठेकेदार से करा लिया गया है।
6	डॉ राजेन्द्र पाण्डेय विधायक महो. जावरा	राज्य स्तर	माननीय विधायक डॉ राजेन्द्र जी पाण्डेय विधायक जावरा विधानसभा का पत्र कमांक 1262 दिनांक 28.08.2020	नियम विरूद्ध किये गये दुकान आवंटन संबंधी।	संचालनालय के पत्र कमांक शि./6/2/वि.स. 18/ 12771 भोपाल दिनांक 01.09.2020 द्वारा डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय माननीय विधायक, जावरा क्षेत्र कमांक 222 द्वारा नगर परिषद् पिपलौदा की जांच पूर्ण किए जाने का लेख कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई। कार्यालयीन पत्र कमांक/संचा./पिपलौदा/2020/ 2422 उज्जैन दिनांक 28.07.2020 द्वारा प्रकरण में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार उक्त प्रा'प्त शिकायती बिन्दुओं पर विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र शिका./संचा./पिपलौदा/2019/1734 दिनांक 13.03.2020 द्वारा प्रेषित किया गया। जिस पर श्री श्याम बिहारी पटेल, तत्कालीन अध्यक्ष, अपने भाई कुलदीप पटेल को दुकान नम्बर 12 एवं दुकान कमांक 13 अपने भाई कुलदीप पटेल की पत्नि श्रीमती मेघा पटेल को परिषद् स्वीकृति पश्चात आवंटित कर अपने नजदीकी रिश्तेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देने के कारण मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के तहत उत्तरदायी पाए जाने से विभाग के आदेश कमांक एफ4–3/2021/18–3 भोपाल दिनांक 02/12/2022 के पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी पटेल को 05 वर्ष के लिए निर्वाचन से निर्रहित किया गया।
7	डॉ राजेन्द्र पाण्डेय विधायक महो. जावरा	जिला स्तर	माननीय विधायक डॉ राजेन्द्र जी पाण्डेय विधायक जावरा विधानसभा का पत्र कमांक 1752 दिनांक 20.01.2021	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियो को राशि वितरण में कठिनाई के संबंध में।	मुख्य नगरपालिका अधिकारी पिपलौदा द्वारा अपने उत्तर में लेख किया गया है कि निकाय के पत्र कमां क 2535 दिनांक 28.01.2021 से प्रतिवेदन परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला रतलाम को प्रेषित किया गया वर्तमान में योजना की राशि समस्त हितग्राहियों को आवंटित की जा चुकी है।

8	डॉ राजेन्द्र पाण्डेय विधायक महो. जावरा	संचालनालय	शि. /6/13/04/2022/7061 दि. 12.04.2022	डॉ राजेन्द्र पाण्डेय मान. विधायक जावरा पत्र कमांक 222 द्वारा पिपलौदा नगर में विभिन्न कार्यों में नगर परिषद् के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2010 से 2019 तक किये कार्यों एवं निर्णयों में हुई आर्थिक अनियमितायें की जांच कराये जाने की शिकायत।	संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग के पत्र क्र 1911 दिनांक 23.05.2022 द्वारा संचालनालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। जिसमें स्व. श्री रज्जू खान एवं श्री महिमाराम पिपल्या तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी को उत्तरदायी पाये गये थे। श्री रज्जू खान तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी का निधन हो चुका है। संचालनालय के आदेश 17801 दिनांक 11.11.20 के द्वारा श्री महिमाराम पिपल्या की 02 वेतनवृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई। श्री बन्ने सिंह गोरसिया तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी दुकानों की नीलामी की कार्यवाही में एवं महेश शर्मा उपयंत्री को सेलाना रोड से नवीन बस स्टैण्ड तक स्ट्रीट लाईट के कार्य में श्री उत्तरदायी पाये जाने पर आरोप पत्र जारी किये जा रहे हैं। श्री लाल सिंह डोडिया सेवानिवृत्त प्रभारी लेखापाल एवं श्री डी.पी. गोस्वामी सेवानिवृत्त प्रभारी लेखापाल को भुगतान में की गई अनियमितता में उत्तरदायी पाये जाने पर पेंशन नियमों के तहत् कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

सही
संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
उज्जैन संभाग उज्जैन

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग